

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-2/इतिहास(महिला/पुरुष)/डीपीसी-पदस्थापन/2015-16 दिनांक 13.09.2015 द्वारा श्री रोहिताष कुमार भडिया व0अ0 राउमावि सींगडा (झुंझुनू) का डीपीसी द्वारा चयन होने के कारण व्याख्याता इतिहास के पद पर पदोन्नति दी जाकर पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हंसेरा(बीकानेर) पदस्थापित किया गया था।

श्री रोहिताष कुमार भडिया द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-2/इतिहास(महिला/पुरुष)/ डीपीसी-पदस्थापन/2015-16 दिनांक 13.09.2015 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष याचिका संख्या 5171/2016 दायर की गई। जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.04.2016 द्वारा उक्त याचिका में निर्णय पारित किया।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में गृह जिला झुंझुनू में पदस्थापन बाबत निवेदन किया है।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया व्याख्याता पद स्टेट सर्विस का होने के कारण कहीं भी पदस्थापन दिया जा सकता है प्रार्थी की इच्छानुसार पदस्थापन नहीं दिया जाता है श्री रोहिताष कुमार भडिया द्वारा पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हंसेरा (बीकानेर) में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

अतः श्री रोहिताष कुमार भडिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। जिससे सभी संबंधित सूचित हो।

(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

दिनांक - 22/7/2016

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/कोर्टकेस/2015  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को सूचनार्थ

1.संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक, बीकानेर

2.संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, बीकानेर

3.संबंधित संस्था प्रधान राउमावि हंसेरा (बीकानेर)/

4.संबंधित कार्मिक श्री रोहिताष कुमार भडिया व्या0 इतिहास

5.गार्ड पंजिका

6.कम्प्यूटर अनुभाग-वेबसाइट पर अपलोड है

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-2/इतिहास/स्थानान्तरण 2015-16 दिनांक 18.07.2015 द्वारा श्री महेन्द्रसिंह चौहान व्याख्याता-इतिहास राउमावि मोधूनगर (हनुमानगढ़) का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरडा (हनुमानगढ़) किया गया था।

श्री महेन्द्रसिंह चौहान द्वारा आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-2/इतिहास/स्थानान्तरण 2015-16 दिनांक 18.07.2015 के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष याचिका संख्या 8156/2015 दायर की गई। जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 06.08.2015 द्वारा उक्त याचिका में निर्णय पारित किया।

याचिका के निर्णय की अनुपालना में याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में शेरडा किया गया आदेश निरस्त कर पुनः मोधूनगर-हनुमानगढ़ या रावतसर में पदस्थापन बाबत निवेदन किया है।

अभ्यावेदन का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया व्याख्याता पद स्टेट सर्विस का होने के कारण कहीं भी स्थानान्तरण किया जा सकता है प्रार्थी की इच्छानुसार स्थानान्तरण किया जाना संभव नहीं है श्री महेन्द्रसिंह चौहान द्वारा स्थानान्तरण पर पदस्थापित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरडा (हनुमानगढ़) में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

अतः श्री महेन्द्रसिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। जिससे सभी संबधित सूचित हो।

(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक - 21/7/2016

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/कोर्टकेस/2015  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
- 1.संबधित उपनिदेशक माध्यमिक, बीकानेर
- 2.संबधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, हनुमानगढ़
- 3.संबधित संस्था प्रधान राउमावि शेरडा(हनुमानगढ़)
- 4.संबधित कार्मिक श्री महेन्द्रसिंह चौहान व्या० इतिहास
- 5.गार्ड पंजिका

ले ऑफिसर अनुभाग-वेसाईरपरअपलोड हेतु

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर